



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा -2014

आयोजन की सूचना दिनांक 23.07.2015 के सन्दर्भ में

शुद्धिपत्र 01, दिनांक 28.07.2015

ऑनलाइन आवेदन अवधि दिनांक 27.07.2015 से

दिनांक 23.08.2015 तक

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2014 के दिनांक 28.10.2015 से दिनांक 03.11.2015 तक आयोजन के सन्दर्भ में दिनांक 23.07.2015 को सूचना प्रकाशित की गयी थी। उक्त सूचना की कंडिका-01 में उल्लेखित सारिणी निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

02 उक्त सूचना की कंडिका-01 में उल्लेखित सारिणी निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

दिन	दिनांक	विषय	समय
बुधवार	28.10.2015	सामान्य अध्ययन-1	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
गुरुवार	29.10.2015	सामान्य अध्ययन-2	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
शुक्रवार	30.10.2015	सामान्य अध्ययन-3	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
शनिवार	31.10.2015	सामान्य अध्ययन-4	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
सोमवार	02.11.2015	सामान्य हिन्दी	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
मंगलवार	03.11.2015	निबंध एवम अपठित गद्यांश	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

03 उक्त सूचना की शेष जानकारियां पूर्ववत रहेंगी.

023
सचिव

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – 2014

आयोजन की सूचना दिनांक 23.07.2015

प्रवेश पत्र उपलब्धता	दिनांक 06.10.2015 से	ऑनलाइन आवेदन अवधि	दिनांक 27.07.2015 से
अवधि	दिनांक 26.10.2015 तक		दिनांक 23.08.2015 तक

- 01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यसेवा परीक्षा 2014 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2014 दिनांक 24.12.2014 के संदर्भ में आयोजित की गयी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 08.07.2015 को घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा में सफल आवेदकों हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2014 का आयोजन दिनांक 28.10.2015 से दिनांक 03.11.2015 तक इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर संभागीय मुख्यालयों स्थित परीक्षा केन्द्रों पर निम्नानुसार आयोजित की जायेगी :-

दिन	दिनांक	विषय	समय
बुधवार	28.10.2015	सामान्य अध्ययन-1	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
गुरुवार	29.10.2015	सामान्य अध्ययन-1	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
शुक्रवार	30.10.2015	सामान्य अध्ययन-1	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
शनिवार	31.10.2015	सामान्य अध्ययन-1	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
सोमवार	02.11.2015	सामान्य हिन्दी	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
मंगलवार	03.11.2015	निबंध एवम अपठित गद्यांश	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केन्द्रों की संख्या को कम किया जा सकता है।

- 02 लिखित परीक्षा में सफल आवेदकों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2015 (दोपहर 12:00) से 23.08.2015 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं। आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा:-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 400/-	₹ 800/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवा कर सहित) अतिरिक्त देय होगा	
आवेदन तथा परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी.आनलाइन से हेल्पलाइन -0755-4019400 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं	

- 03 आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 29.07.2015 से दिनांक 25.08.2015 तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे। त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किये जा सकेंगे। त्रुटि सुधार हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- (सेवाकर सहित) देय होंगे। जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे जायेंगे राज्य सेवा परीक्षा 2014 हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य न करते हुये उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।
- 04 लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 06.10.2015 से दिनांक 26.10.2015 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किये जायेंगे। प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक mponline के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

05 आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फोटो युक्त मूल पहचान-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

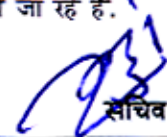
1.	मतदाता परिचय पत्र	2.	आधार कार्ड	3.	ड्रायविंग लायसेंस
4.	आयकर का पेन कार्ड	5.	पासपोर्ट	6.	फ़ोटो सहित बैंक पासबुक
7.	केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फ़ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र			8.	शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व जारी फ़ोटो पहचान पत्र
9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फ़ोटो परिचय-पत्र				

06 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कही सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों तथा 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे:-

- (1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
- (2) निःशक्तता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
- (3) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी, तथा किराये की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो ।

07 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2014 में सामान्य अध्ययन के 04 प्रश्नपत्र तथा सामान्य हिन्दी एवं निबंध लेखन के 02 प्रश्नपत्र होंगे। सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्नपत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में तथा शेष दोनों प्रश्नपत्र केवल हिन्दी माध्यम के होंगे। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों के भाषा विकल्प (हिन्दी और अंग्रेजी) का चयन करना होगा।

08 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2014 की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञप्ति के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किये जा रहे हैं।


सचिव

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014

क्रमांक-772/09/2013/प.-8

इंदौर, दिनांक 23.07.2015

--:अधिसूचना::--

आयोग की अधिसूचना क्रमांक-533/09/2013/प.-8 दिनांक 03.07.2015 को अधिक्रमित करते हुए आयोग की बैठक दिनांक 10.07.2015 में हुए निर्णय अनुसार संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है।

परीक्षा योजना:-

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार कुल 06 प्रश्नपत्र होंगे तथा सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है :-

स.क्र.	विषय	अवधि	पूर्णांक	माध्यम
प्रथम प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन-I	03 घण्टे	300	हिन्दी तथा अंग्रेजी
द्वितीय प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन-II	03 घण्टे	300	हिन्दी तथा अंग्रेजी
तृतीय प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन-III	03 घण्टे	300	हिन्दी तथा अंग्रेजी
चतुर्थ प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन-IV	03 घण्टे	200	हिन्दी तथा अंग्रेजी
पंचम प्रश्नपत्र	सामान्य हिन्दी	03 घण्टे	200	हिन्दी
षष्ठम प्रश्नपत्र	निबंध एवं अपठित गद्यांश	02 घण्टे	100	हिन्दी

साक्षात्कार :-

175 अंक

कुल अंक 1575

परीक्षा के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का प्रकार तथा उत्तर हेतु शब्द सीमा का मार्गदर्शी प्रारूप निम्नानुसार है:-

1. सामान्य ज्ञान के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र में दो खण्ड अ तथा ब रहेंगे। प्रत्येक खण्ड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खण्ड के लिये पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी। प्रत्येक खण्ड में 15 अतिलघुउत्तर 10 लघुउत्तर एवं 03 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या में आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकेगी।
2. चतुर्थ प्रश्न पत्र में एक ही खण्ड रहेगा तथा प्रश्न पत्र में 15 लघुस्तरीय तथा 15 लघुस्तरीय संक्षिप्त टिप्पणियां सम्मिलित रहेगी तथा एक या दो केस स्टडी से संबंधित लघुरूवरूप के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. सामान्य ज्ञान के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम में से एक भाषा में उत्तर लिखने का विकल्प का चयन किया जा सकता है।

iFke i!ui=

[k.M ¼v½

प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक—1.1 से 1.7 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

i'u Øekd&01

इस प्रश्न में कुल— A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा। अनुमानित प्रत्येक प्रश्न पत्र के शब्द सीमा 15 होगी। आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

i'u Øekd&02

इस प्रश्न में कुल— A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के रहेंगे जिनका उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

i'u Øekd&03

A, B. एवं C कुल—03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल — $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

bI i!dkj ;g [k.M 150 v!dk dk gkxkA

[k.M ¼c½

इस खण्ड हेतु पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी।

प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक—2.1 से 4.3 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र

की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

i'u Øekd&01

इस प्रश्न में कुल— A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा। आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

i'u Øekd&02

इस प्रश्न में कुल— A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

i'u Øekd&03

A, B. एवं C कुल—03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

bl idkj ;g [k.M 150 vdk dk gkxkA

f}rh; i'u i=

प्रश्न पत्र द्वितीय, दो खण्डों में विभाजित होगा। प्रत्येक खण्ड के लिए पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी।

[k.M ¼v½

द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में 1.1 से 3.11 तथा क्रमांक—08, 09 एवं 10 भाग इसमें सम्मिलित रहेगा।

i'u Øekd&01

इस प्रश्न में कुल— A से O तक तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा। आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

i'u Øekd&02

इस प्रश्न में कुल— A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

i'u Øekd&03

A, B. एवं C कुल-03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल- $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

bI idkj ;g [k.M 150 vdk dk gkxkA

[k.M %c%

इस खण्ड हेतु पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी।
द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक-4.1 से 10.4 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :-

i'u Øekd&01

इस प्रश्न में कुल- A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल- $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

i'u Øekd&02

इस प्रश्न में कुल- A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल- $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

i'u Øekd&03

A, B. एवं C कुल-03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल- $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

bI idkj ;g [k.M 150 vdk dk gkxkA

r'r'h; i:'ui=

प्रश्न पत्र तृतीय, दो खण्डों में विभाजित होगा। प्रत्येक खण्ड के लिए पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी।

तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक—1.1 से 6.6 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

[k.M&½v½

i:'u Øekd&01

इस प्रश्न में कुल— A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

i:'u Øekd&02

इस प्रश्न में कुल— A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जायेगा।

i:'u Øekd&03

A, B. एवं C कुल—03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

bI i'dkj ;g [k.M 150 vdk dk gkxkA

[k.M ¾c½

इस खण्ड हेतु पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी। तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक — 7.1 से 7.17 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

i:'u Øekd&01

इस प्रश्न में कुल— A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

i'u Øekd&02

इस प्रश्न में कुल— A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

i'u Øekd&03

A, B. एवं C कुल—03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। इस खण्ड में केस स्टडीज से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित किया जा सकता है।

bl idkj ;g [k.M 150 vdk dk gkxkA

prFk i'u i=

इस प्रश्न पत्र में igyk i'u अति लघुस्तरीय होगा। जिनके उत्तर या एक या दो पंक्तियों में देना होंगे। आंतरिक विकल्प नहीं दिया जायेगा। यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक—02 से 16 तक कुल—15 प्रश्न लघुस्तरीय टिप्पणी के होंगे जिनकी शब्द सीमा लगभग—150 शब्द होगी। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल— $15 \times 6 = 90$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक—17 तथा 18 में पाठ्यक्रम से संबंधित 01 या 02 केस स्टडी दी जायेगी कुल केस स्टडी के आधार पर कुल 65 अंकों के लघुस्वरूप के प्रश्न पूछे जायेंगे। दो केस स्टडी सम्मिलित किये जाने पर प्रथम केस स्टडी से 30 अंक के द्वितीय केस स्टडी से 35 अंक के प्रश्न पूछे जायेंगे।

पंचम प्रश्न पत्र

पांचवा प्रश्नपत्र— यह प्रश्न पत्र सामान्य हिन्दी का होगा, पहला प्रश्न लघु स्तरीय होगा जिसमें कुल-20 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 01 या 02 पंक्तियों में देना होगा तथा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार पहला प्रश्न $20 \times 3 = 60$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक-02 गद्यांश के हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद का होगा। यह प्रश्न 20 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक-03 से 10 तक कुल 08 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया जायेगा।

इस प्रकार यह प्रश्न 200 अंकों का होगा।

छटवां प्रश्न पत्र

छटवां प्रश्नपत्र— यह प्रश्न पत्र निबंध एवं अपठित गद्यांश का होगा प्रश्नपत्र 03 खण्डों में विभाजित रहेगा प्रत्येक खण्ड में आंतरिक विकल्प रहेगा।

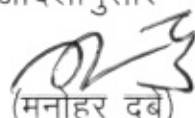
प्रथम खण्ड अपठित गद्यांश का होगा जिसमें प्रश्नपत्र में हिन्दी भाषा में दिये गये गद्यांश से संबंधित 02-02 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जायेंगे इस प्रकार यह खण्ड 20 अंकों का होगा।

द्वितीय खण्ड ब में हिन्दी भाषा में 500 शब्दों में निबंध लिखना होगा यह खण्ड 30 अंकों का होगा। खण्ड 'स' हिन्दी भाषा में लगभग 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा यह 50 अंकों का होगा।

टीप— अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे।

संलग्न-06 प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम।

आदेशानुसार


(मनोहर दुबे)
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
2. समस्त सदस्य-1, 2, 3 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
3. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. परीक्षा नियंत्रक की ओर आगामी कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. ऑनलाईन प्रभारी को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

Vau

उप सचिव

PAPER I -GENERAL STUDIES -(I)

1. HISTORY AND CULTURE

- 1.1 World History –
Renaissance,
Revolution of England,
French Revolution,
Industrial Revolution
Russian Revolution.
World War I and II .
- 1.2 Indian History -
Political, Economical and Social history of India from Harappa civilization to 10th Century A.D.
- 1.3 Moguls and their administration, emergence of composite culture, Political, Economical and Social history of Central India from 11th to 18th Century A.D.
- 1.4 Impact of British Rule on Indian economy and society,
Indian response to British Rule : Peasant and tribal revolts,
The First Struggle of Independence.
- 1.5 Indian ‘Renaissance: The Freedom, National Movement and its leaders (with special reference to M.P.).
- 1.6 Emergence of India as a Republic, Reorganization of States, Formation of M.P.
Major events of the post independence period.
- 1.7 Indian Culture, Heritage with special reference to M.P. : Salient aspects of Art Forms, Literature, Festivals & Architecture from ancient to modern times.
World Heritage sites in India, Tourism in Madhya Pradesh.

2. GEOGRAPHY

- 2.1 Salient features of physical geography of India and the world,
- 2.2 Distribution of key natural resources,
Agro-climatic zones and
Industries in M.P.
- 2.3 Demography of India and M.P., Tribes of Madhya Pradesh with particular reference to vulnerable tribes.

- 2.4 Agro ecology and its relevance to man, sustainable management and conservation. Major crops of the state, holdings and cropping patterns, physical and social environment of crop distribution and production. Issues and challenges related with quality and supply of seed, manure, farming practices, horticulture, poultry, dairy, fisheries and animal husbandry etc. agriculture produce, transport, storage and marketing in the state.

Soil : Physical, chemical and biological properties, Soil process and factors of soil formation, mineral and organic constituents of soil and their role in maintaining soil productivity. Essential plant nutrients and other beneficial elements in soils and plants. Problem soils and their reclamation methods. Problems of soil erosion and Soil degradation in Madhya Pradesh. Soil conservation planning on watershed basis.

- 2.5 Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management. Land reforms in India.

3. Water Management

- 3.1 Ground water and Watershed management.
3.2 Water usage and efficient irrigation systems.
3.3 Drinking Water: supply, factors of impurity of water and quality management.

4. Disaster and its management

- 4.1 Man-made and Natural disasters: Concept and scope of disaster management, specific hazards and mitigation.
4.2 Community planning: Resource Mapping, Relief & Rehabilitation, preventive and administrative measures, Safe construction, Alternative communication and survival skills.
4.3 Case studies - Chernobyl Atomic Plant Tragedy 1986, Bhopal Gas Tragedy 1984, Kutch Earthquake 2001 , Indian Tsunami 2004, Fukushima Daiichi Japan Nuclear Disaster 2011, Uttarakhand Flash Flood 2013, Ujjain Tragedy 1994, Allahabad Kumbh Stampede 2013, J & K Flood 2014 etc.

PAPER II -GENERAL STUDIES -(II)

1. The Constitution, the Political and Administrative Structure of Governance.

- 1.1 Constitution drafting committee, The Constitution of India, The Preamble, Basic Structure, Fundamental Rights and Duties and Directive principles of state policy, Schedules of the Constitution, Constitutional amendments. Comparison of the Indian Constitution with that of other countries.
- 1.2 Centre and State Legislature.
- 1.3 Centre and State Executive.
- 1.4 Judiciary - Supreme Court, High Court, District and Subordinate Courts, Contempt of Court.
- 1.5 Nature of the Indian Union, Centre-State Relations, Division of Power (Union List, State List and Concurrent List). Distribution of resources.
- 1.6 Decentralization and peoples participation in Democratic Governance. Self Government, 73rd and 74th amendment of Constitution. The Panchayats, The Municipalities. (Rural and Urban Local Governance)
- 1.7 Lokpal, Lokayukt and Lok Nyayalaya -Judiciary as a watch-dog protecting Constitutional Order- Judicial Activism, Public Interest Litigation.
- 1.8 Accountability and Rights :-
Competition Commission, Consumer Courts, Information Commission, National Human Rights Commission, Human Rights Commissions, SC/ ST/OBC Commissions, redressed agencies / authorities. Transparency and Accountability, Right to Information, Right to Services, Utilization of public funds.
- 1.9 Democracy at work,
Political Parties, Political Representation, Citizens Participation in Decision Making.
- 1.10 Elections,
Election Commission, Electoral reforms.
- 1.11 Emergence of Community Based Organizations (CBOs) and Government Organizations (NGOs);
Self Help Groups.
- 1.12 Issues and role of media (Electronic, Print and Social)

2. Security issues: External and Internal.

3. Social & Some Important Legislation:

- 3.1 Indian society, Social Legislation as an instrument of Social Change.
- 3.2 The Protection of Human Rights Act, 1993

- 3.3 Protection to Women Women & Criminal Law [Under Indian Constitution Law & criminal Procedure code]
- 3.4 Protection of Women From Domestic Violence Act-2005
- 3.5 The Protection of Civil Rights Act, 1955,
- 3.6 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989,
- 3.7 Right to Information Act, 2005,
- 3.8 Environment (Protection) Act, 1986,
- 3.9 The Consumer Protection Act, 1986,
- 3.10 Information Technology Act, 2000,
- 3.11 The Prevention of Corruption Act, 1988
- 3.12 The Madhya Pradesh Lok Sewaon ke Pradan ki Guarantee Adhiniyam-2010

4- Social Sector - Health, Education & Empowerment -

- 4.1 Health services, Preventive and curative health programmes in India , with an emphasis on children and women's health.

Issues related to availability of curative health to all. Availability of doctor & Paramedical staff. Health services in rural area.
- 4.2 Malnutrition, its causes and effects and Govt. programmes for supplement Nutrition
- 4.3 The technological interventions in the field of Immunology, Immuniz Family health, Biotechnology, Communicable and non-communicable diseases and remedies.
- 4.4 Vital statistics
- 4.5 W.H.O.-Objectives, Structures, functions and its programmes.

5- Education systems -

Education as a tool of HR development, Universal elementary education, Quality of Higher and Technical, Vocational Education. Issues related to girls education, under privileged classes and differently abled classes.

6- Human resource development -

Availability of skilled manpower, employability and productivity of human resource of India, trends of employment, role of institutions like NCHER, NCERT, NIEPA, UGC, Open Universities, AICTE, NCTE, NCVT, ICAR, IITs, NITs. NLUs, IIMs, Polytechnic and ITIs etc. and human resource development.

7- Welfare programmes -

Welfare programmes and Issues related to - Aged people, Differently able people, Children, Women, Labour, Socially deprived Classes and Displaced groups of developmental projects.

8- Public Services-

Public Services, All India Services, Central Services, State Services, Constitutional Positions; Role and function, nature of function, Union Public Service Commission, M.P. State Public Service Commission. Training and Training Institutions of State and Centre in context of changing governance pattern.

9- Public Expenditure and Accounts-

Control over public Expenditure, Parliamentary control, Estimate Committee, Public Accounts Committee etc. Office of the Comptroller and Auditor General of India, Role of Finance Ministry in Monetary and Fiscal Policy, Composition and function of Accountant General of M.P.

10- International Organizations-

- 10.1 UN and its associate organizations.
- 10.2 IMF, The World Bank and Asian Development Bank
- 10.3 SAARC, BRICS, other Bilateral and Regional groupings
- 10.4 WTO and its impact on India.

PAPER III -GENERAL STUDIES -(III)

1. Science and Technology

1 Science

- 1.1 Matter in our surroundings, Elements, Compounds, Mixtures, Metals and Non-metals, Carbon and its compounds, Molecules, Atoms, Structure of atom. Chemical reactions, Acids, Bases and Salts.
- 1.2 Organism, Types of organisms, Tissues, Fundamental unit of life-Cell, Life processes', Metabolism, Control and Coordination, Reproduction, Heredity and Evolution.
- 1.3 Gravitation, Motions, Force, Laws of Motion, Work and Energy, Light, Sound, Electricity and Magnetism.

2. Reasoning and Data Interpretation

- 2.1 Basic numeracy and Statistics (numbers and their relations), Probability.
- 2.2 Data handling and Interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.).
- 2.3 Ratio and Proportion, Unitary method, Profit and Loss, Percentage, Discount, Simple and Compound Interest.
- 2.4 Mensuration : Area, Perimeter Volume.
- 2.5 Logical reasoning, Analytical ability and Problem solving.

3 Technology

- 3.1 Applications of Science and Technology in Social and Economic development, Indigenous technology, Transfer of technology and developing new Technologies.
- 3.2 Patents and Intellectual Property Rights. (TRIPS & TRIMS).
- 3.3 Contribution of Indians in the field of Science and Technology.

4. Emerging Technologies

- 4.1 Emerging technologies like Information and Communication Technology, Remote sensing, Space, GIS, GPS, Bio-technology & Nano-technology: their application in the field of Agriculture and Allied sectors, Health, E-Governance, Transport, Spatial Planning, Housing, Sports etc.

5. Energy

- 5.1 Conventional and Non-Conventional sources of energy.
- 5.2 Energy Management: Issues and challenges.
- 5.3 Current status of alternative sources of energy and their future prospects.

6. Environment and Sustainable Development

- 6.1 Environmental degradation: its causes, effects and remedies.
- 6.2 Environment protection laws, Policies and regulatory framework.
- 6.3 The Environment – development debate.
- 6.4 Solid, Effluent, Sewer, Medical, Hazardous and E-waste management.
- 6.5 Climate change: Causes and Remedial measures.
- 6.6 Ecological Prints and Coping strategies.

7. Indian Economy :-

- 7.1 Development Experience of India.
- 7.2 Causes of low Industrialization in MP.
- 7.3 Economic reforms since 1991: Industrial and Financial sector reforms, stock market and Banking systems.
- 7.4 Liberalization, Privatization and Globalization.
- 7.5 Current trends and challenges in the Indian Economy.
- 7.6 Development planning in India.
- 7.7 National Income and Accounting System.
- 7.8 Infrastructural development and issues.
- 7.9 Poverty, Unemployment, Regional Imbalances and Migration.
- 7.10 Urban issues, Urban development (social and economic infrastructure) and Housing for Low Income Groups.
- 7.11 Rural issues, Rural development (Social and economic infrastructure) and Rural Credit.
- 7.12 Indicator of development, Human development & Economic development.
- 7.13 Co-operative movement in India and M.P.
- 7.14 Importance of agriculture in M.P. and Indian economy.
- 7.15 Factors of economic development.
- 7.16 Issues of Direct and Indirect Subsidy for farm sector and other social sectors.
- 7.17 Public Distribution System : Objective, Functioning, Limitation, Issues of Buffer Stock and Food Security.

PAPER IV -GENERAL STUDIES -(IV)

1- Human needs and motivation

Ethics and Values in Public Administration: Ethical elements in governance – integrity, accountability and transparency, ethical reasoning and moral dilemmas, conscience as sources of ethical guidance. code of conduct for civil servants, values in governance.

2- Philosophers/Thinkers, Social workers/Reformers :-

Mahavir, Buddha, Kautilya, Plato, Aristotle, Gurunank, Kabir, Tulsidas, Ravindra Nath Tagore, Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Sri Aurobindo, Mohandas Karamchand Gandhi, Sarvpalli Radhakrishnan , Bhimrao Ramji Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Deen Dayal Uppadhyaya, Ram Manohar Lohiya etc.

3- Attitude:

Content, Elements, Function Formation of attitude, attitudinal change, persuasive communication, Prejudice and discrimination, Stereotypes in Indian context.

4- Aptitude -

Aptitude and foundational values for Civil Service, integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker-sections.

5- Emotional intelligence-

Emotional intelligence-concepts, their utilities and application in Administration and Governance.

6- Corruption:

Types and Causes of corruption, effects of corruption, approaches to minimizing corruption– role of society, media, family, whistleblower, UN Convention on Corruption, measuring corruption; Transparency International etc.

7- Case studies - based on the contents on the syllabus.

विश्व इतिहास – पुनर्जागरण, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध

1. विश्व इतिहास –

1.1 विश्व इतिहास –

पुनर्जागरण,

इंग्लैंड की क्रांति,

फ्रांस की क्रांति,

औद्योगिक क्रांति

रूसी क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध

1.2 भारतीय इतिहास—भारत का राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10 वीं शताब्दी तक।

1.3 मुगल और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का उद्भव।

11 वीं से 18 वीं शताब्दी तक मध्यभारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास।

1.4 ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव।

ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया : कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन/संग्राम।

1.5 भारतीय पुनर्जागरण : राष्ट्रीय, स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता (मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में)।

1.6 गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्यप्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के प्रमुख घटनाक्रम।

1.7 मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक विरासत : प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व (उत्सवों), वास्तुकला के प्रमुख पक्ष।

भारत में विश्व धरोहर स्थल, मध्यप्रदेश में पर्यटन।

2 Hkxky &

- 2.1 भारत एवं विश्व भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएँ/लक्षण ।
- 2.2 प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण,
मध्यप्रदेश के कृषि-जलवायु क्षेत्र एवं उद्योग ।
- 2.3 भारत एवं मध्यप्रदेश की जनांकिकी, मध्यप्रदेश की जनजातियाँ, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में ।
- 2.4 कृषि पारिस्थितिकी एवं मनुष्य के लिये इसकी प्रासंगिकता, धारणीय प्रबंधन एवं संरक्षण । राज्य की प्रमुख फसलें, कृषि ज़ोत क्षेत्र एवं फसल चक्र, फसलों के उत्पादन और वितरण का भौतिक और सामाजिक पर्यावरण । राज्य में बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति, कृषि के तरीके, बागवानी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशु पालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएँ, कृषि उत्पादन, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन आदि से संबंधित समस्याएँ एवं चुनौतियाँ ।

मृदा : मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा निर्माण की प्रक्रिया एवं मृदा के खनिज एवं कार्बनिक तत्व तथा भूमि की उत्पादकता बनाये रखने में इनका योगदान । मृदा एवं वनस्पति में आवश्यक वनस्पति पौषक और विभिन्न लाभदायक तत्व । समस्याग्रस्त मृदा और उसके परिष्कार के तरीके, मध्यप्रदेश में मृदा क्षरण और ह्रास की समस्याएँ । जलग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन ।

- 2.5 भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग – संभावनाएँ एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएँ, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन ।

भारत में भूमि सुधार ।

3 जल प्रबंधन –

- 3.1 भू-जल एवं जल संग्रहण प्रबंधन ।
- 3.2 जल का उपयोग एवं कुशल सिंचाई प्रणाली ।
- 3.3 पेयजल – आपूर्ति, जल की अशुद्धता के कारक एवं गुणवत्ता का प्रबंधन ।

4 vkink ,o vkink ic/ku &

- 4.1 मानव निर्मित एवं प्राकृतिक आपदाएँ : आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएँ, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन ।
- 4.2 सामुदायिक योजना : संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता ।
- 4.3 केस स्टडी (प्रकरण अध्ययन) — चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी 1986, भोपाल गैस त्रासदी 1984, कच्छ भूकंप 2001, भारतीय सुनामी 2004, फुकुसिमा डायची जापान परमाणु आपदा 2011, उत्तराखंड बाढ़ 2013, उज्जैन त्रासदी 1994, इलाहाबाद कुंभ की भगदड़ 2013, जम्मू एवं कश्मीर की बाढ़ 2014 आदि का अध्ययन ।

i'u i= &AA lkekU; v/;;u iij %AA%

1. lfo/kku] 'kk lu dh jktufrd ,o i'kk lfud ljpuk &

- 1.1 संविधान निर्माण समिति, भारत का संविधान, प्रस्तावना, बुनियादी संरचना, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, संविधान की अनुसूचियां, संवैधानिक संशोधन, भारत के संविधान की अन्य देशों के संविधानों के साथ तुलना ।
- 1.2 केन्द्र एवं राज्य विधायिका ।
- 1.3 केन्द्र एवं राज्य कार्यपालिका ।
- 1.4 न्यायपालिका – सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, न्यायपालिका की अवमानना ।
- 1.5 भारतीय संघ की प्रकृति, केन्द्र एवं राज्यों के संबंध, शक्तियों का विभाजन (केन्द्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) संसाधनों का वितरण ।
- 1.6 विकेन्द्रीकरण एवं लोकतांत्रिक शासन में जनभागीदारी, स्थानीय शासन, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन, पंचायतें, नगर पालिकाएँ (ग्रामीण एवं नगरीय, स्थानीय शासन)
- 1.7 लोकपाल, लोकायुक्त एवं लोक न्यायालय— न्यायपालिका— संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण एवं प्रहरी के रूप में – न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका ।
- 1.8 जवाबदेही एवं अधिकार—प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता न्यायालय, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अजा/अजजा/अपिव आयोग एवं अन्य निवारण संस्थाएँ/प्राधिकरण । पारदर्शिता एवं जवाबदेही, सूचना का अधिकार, सेवा प्राप्ति का अधिकार, सार्वजनिक निधि का उपयोग ।
- 1.9 लोकतंत्र की कार्य प्रणाली :
राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी ।
- 1.10 निर्वाचन,
निर्वाचन आयोग, निर्वाचन संबंधी सुधार ।
- 1.11 समुदाय आधारित संगठन (CBOS) एवं गैर सरकारी संगठनों (NGOS) का उद्भव – स्व-सहायता समूह ।

- 1.12 मीडिया की भूमिका एवं समस्याएँ (इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट एवं सामाजिक)
2. **कग; ,o vkUrfjd l j{k d ennA**
3. **l keft d ,o egRo i.k fo/kku %**
- 3.1 भारतीय समाज, सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान ।
- 3.2 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- 3.3 भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा (सीआरपीसी)
- 3.4 घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम—2005
- 3.5 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
- 3.6 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
- 3.7 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
- 3.8 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986
- 3.9 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
- 3.10 सूचना प्राद्यौगिकी अधिनियम—2000
- 3.11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- 3.12 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम—2010

4- l keft d {k= & LokLF;] f'k{k ,o l 'kfDr dj.k &

- 4.1 स्वास्थ्य सेवायें — भारत/मध्यप्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के संदर्भ में निरोधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम ।

सभी के लिए उपचारात्मक स्वास्थ्य की उपलब्धता से संबंधित समस्याएँ ।
चिकित्सकों एवं चिकित्सा सहायकों (पैरामेडिकल स्टाफ) की उपलब्धता,
ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवायें ।
- 4.2 कुपोषण — कारण और प्रभाव एवं पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम ।
- 4.3 प्रतिरक्षा शास्त्र के क्षेत्र में तकनीकी दखल — प्रतिरक्षण, पारिवारिक स्वास्थ्य, बायोटेक्नोलोजी, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियाँ एवं उनके उपचार ।

4.4 जन्म-मृत्यु समंक (वायटल स्टेटिस्टिक्स) ।

4.5 विश्व स्वास्थ्य संगठन- उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम ।

5- f'k{k.k i.l.kkylh &

मानव संसाधन विकास में शिक्षा —एक साधन, सार्वभौमिक/समान प्रारम्भिक शिक्षा, उच्चशिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, वंचित वर्ग, निःशक्त जन से संबंधित मुद्दे ।

6- ekuo l:l.k/ku fodkl %&

कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन (ट्रेंड्स), विभिन्न संस्थाओं जैसे —एन.सी.एच.ई.आर., एन.सी.ई.आर.टी, एन.आई.ई.पी.ए., यू.जी.सी., ओपन विश्व विद्यालय, ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई., एन.सी.व्ही.टी., आई.सी.ए.आर., आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी. एन.एल.यू.एस. पोलिटेक्नीक एवं आई.टी.आई, आदि की भूमिका एवं मानव संसाधन विकास ।

7- dY;k.kdkjh dk;Øe&

वृद्धजन, निःशक्त जन, बच्चों, महिलाओं, श्रम, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग एवं विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्गों से संबंधित मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम ।

8- ykd lok, %&

लोकसेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, केन्द्रीय सेवायें, राज्य सेवाएं, संवैधानिक पद— भूमिका, कार्य और कार्य की प्रवृत्ति; संघ लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग । शासन के बदलते प्रारूप के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थायें ।

9- ykd 0; ; ,o y[kk&

लोकव्यय पर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति आदि । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, मौद्रिक एवं वित्तीय नीति में वित्त मंत्रालय की भूमिका, मध्यप्रदेश के महालेखाकार का गठन एवं कार्य ।

10- **vrjk"Vh; lxBu**

- 10.1. संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन ।
- 10.2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक ।
- 10.3. सार्क, ब्रिक्स, अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह ।
- 10.4. विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव ।

सामान्य अध्ययन पेपर-III

foKku ,o rduhdh %&

1 foKku

- 1.1 हमारे आस-पास व्याप्त पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातुएँ और अधातुएँ, कार्बन और इसके यौगिक, अणु, परमाणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएँ, अम्ल, क्षार एवं लवण ।
- 1.2 जीव, जीवों के प्रकार, ऊतक, जीवन की इकाई, कोशिका, जैविक क्रियाएँ, चयापचय, नियंत्रण और सामंजस्य, प्रजनन, आनुवांशिकी एवं जैव विकास ।
- 1.3 गुरुत्वाकर्षण, गति, बल, गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत एवं चुम्बकत्व ।

2- rd! ,o vkdMk dh 0;k[;k %&

- 2.1 आधार संख्याएँ और सांख्यिकी (अंक और उनके संबंध) संभावितता
- 2.2 आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या (चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी, पर्याप्ता आदि)
- 2.3 अनुपात और समानुपात, इकाई विधि, लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज ।
- 2.4 क्षेत्रविधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन ।
- 2.5 तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान ।

3- rduhdh %&

- 3.1 विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग, देशज तकनीकी, तकनीकी हस्तान्तरण और नवीन तकनीकी का विकास ।
- 3.2 पेटेन्ट और बौद्धिक सम्पदा के अधिकार (ट्रिप्स, ट्रिम्स)
- 3.3 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान ।

4- fodk l'khy rduhdh %&

- 4.1 नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष जी आय एस, जी पी एस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीकी, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्र, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेन्स, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीडा आदि में इनके अनुप्रयोग ।

5- **Atk %&**

- 5.1 परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन ।
- 5.2 ऊर्जा प्रबंधन : मुद्दे और चुनौतियाँ ।
- 5.3 वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ ।

6- **lk;koj.k ,o /kkj.kh; fodk l**

- 6.1 पर्यावरणीय क्षरण : कारण, प्रभाव एवं निदान ।
- 6.2 पर्यावरण संरक्षण विधियाँ, नीतियाँ और नियामक ढाँचा ।
- 6.3 पर्यावरण एवं विकास पर चर्चा ।
- 6.4 ठोस, तरल, अपशिष्ट, जल-मल, हानिकारक चिकित्सा अवशिष्ट एवं ई-वेस्ट का प्रबंधन ।
- 6.5 जलवायु परिवर्तन : कारण और निदानात्मक उपाय ।
- 6.6 पर्यावरणीय छाप और इससे निपटने की रणनीतियाँ ।

7 **Hkkjrh; vFk0;oLFkk &**

- 7.1 भारत में विकास का अनुभव ।
- 7.2 मध्यप्रदेश में मन्द औद्योगिक विकास के कारण ।
- 7.3 1991 के बाद से हुए आर्थिक सुधार : औद्योगिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार, स्टॉक बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली ।
- 7.4 उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण ।
- 7.5 भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ ।
- 7.6 भारत में विकास का नियोजन ।
- 7.7 राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन की प्रणाली ।
- 7.8 आधारभूत अधोसंरचना विकास एवं मुद्दे ।
- 7.9 गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन एवं प्रवजन ।
- 7.10 नगरीय क्षेत्र के मुद्दे- नगरीय विकास के मुद्दे (सामाजिक एवं आर्थिक संरचना)

एवं निम्न आय वर्गीय समूह के लिये आवास ।

- 7.11 ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे, ग्रामीण विकास (सामाजिक एवं आर्थिक संरचना) एवं ग्रामीण साख ।
- 7.12 विकास का सूचकांक, मानव विकास एवं आर्थिक विकास ।
- 7.13 भारत और मध्यप्रदेश में सहकारिता आन्दोलन ।
- 7.14 मध्यप्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता ।
- 7.15 आर्थिक विकास के तत्व ।
- 7.16 कृषि क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सीडी के मुद्दे ।
- 7.17 लोक वितरण प्रणाली : उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमायें, खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक से संबंधित मुद्दे ।

I kekU; v/;;u iij&iv

1- Ekkuoh; vko'drk, ,o vfhkiij.kk %

लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य : प्रशासन में नैतिक तत्व—सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अन्तरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन ।

2. दार्शनिक/विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता/सुधारक :— महावीर, बुद्ध, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तू, गुरुनानक, कबीर, तुलसीदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविन्दो, मोहनदास करमचंद गाँधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव रामजी अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया आदि ।
3. मनोवृत्ति : विषयवस्तु, तत्व, प्रकार्य : मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता ।
4. अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता एवं अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना/करुणा ।
5. संवेगिक बुद्धि : अवधारणा, प्रशासन/शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग ।
6. भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचनातंत्र, परिवार एवं विसलब्लोअर (Whistleblower) की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा (रवैया), भ्रष्टाचार का मापन, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता आदि ।
7. पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयवस्तु पर आधारित प्रकरणों का अध्ययन ।

i'pe i'u i=

I kekU; fgUnh

इस प्रश्नपत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा । इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने, समझने और लेखन की योग्यता एवं हिन्दी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की जाँच करना है ।

I kekU; r% fuEufyf[kr fo" k; k; i j i' u iN t k; x

%d% iYyou] IfU/k o Iek t

- (1) दिये गए वाक्यों का व्यापक अर्थ (शब्द—सीमा 50 शब्द)
- (2) सन्धि, समास व विराम चिन्ह

%[k% I{k i.k

%x% ik: i y[ku & शासकीय व अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक (स्मरण पत्र), अधिसूचना, टिप्पण लेखन – (कोई दो)

%?k% i; kx] 'kCnkoyh rFkk ikj fHkd 0; kdj.k

- (1) प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली (हिन्दी व अंग्रेजी)
- (2) मुहावरे अथवा कहावतें
- (3) विलोम शब्द एवं समानार्थी शब्द
- (4) तत्सम—तद्भव शब्द
- (5) पर्यायवाची शब्द
- (6) शब्द युग्म

%M% %1% fuc/k y[ku %300 'kCn%

- (2) प्रतिवेदन — (प्रशासनिक, विधि, पत्रकारिता, साहित्य व सामाजिक)

%p% vuokn %okD; k; dk%

हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी

"k"Be i'ui=& fuc/k y[ku

1. प्रथम निबंध (लगभग 1000 शब्दों में) : अंक — 50
2. द्वितीय निबंध (लगभग 250 शब्दों में) : अंक — 30
3. अपठित गद्यांश : अंक — 20

;kx&

vd& 100
